निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 209/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शांति देवी पत्नी श्री भोलूराम, जाति जाट, निवासी मलिकपुर, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, श्रीमती सुनीता मीणा जिला जयपुर ग्रामीण।
2. चौखाराम पुत्र हीरा
3. छोटा पुत्र ईशरा
4. धन्नाराम पुत्र पेमा
5. बजरंग लाल पुत्र हीरा

   जाति जाट, निवासी किशनगढ रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल।
6. बनवारी लाल पुत्र गणेशराम, जाति जाट, निवासी हरसोली, तहसील किशनगढ रेनवाल।
7. बाबूलाल घायल पुत्र गोपाललाल घायल, जाति जाट, निवासी श्यामपुरा, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।
8. मुकन्दाराम पुत्र पेमा
9. रूपाराम पुत्र हीरा
10. लक्ष्मीण पुत्र पेमा

    समस्त जाति जाट, निवासी किशनगढ रेनवाल
11. हंसराज पुत्र गोपाल लाल जाति जाट, निवासी श्यामपुरा, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 83/2024 ब उनवानी शान्ति देवी बनाम चोखाराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री राम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 19.11.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 83/2024 ब उनवानी शान्ति देवी बनाम चोखाराम व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार चाहर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.09.2024 को जारी किया हुआ है। अप्रार्थी सख्या 2 से 11 जो राजनैतिक पहुँच व बाहुबली है तथा आर्थिक आधार पर भी सुदृढ है तथा आये दिन गांव में प्रार्थिया को धमकी देते रहते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है कि प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष में करवा लेंगे तथा हमारा जवाब पेश होते ही आपकी टी.आई. खारिज हो जायेगी फिर हम भूमि को खुर्द–बुर्द करेंगे। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना प्रार्थिया के हक अधिकारो पर बिना मनन किये ही तथा अप्रार्थीगण के प्रभाव होने से उक्त टी.आई. प्रार्थना पत्र को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेको निर्णय में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आंशका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थिया द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया हुआ है और प्रार्थिया ने ही पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थिया का प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विरूद्ध है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर कलक्ट्रेट हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)